कार्यालय अधिष्ठाता गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, (म.प्र.)

Telephone No. 0751-2403400, Email- grmc1946@yahoo.co.in

क्र. 19944 / स्था.राज / 2023 ग्वालियर, दिनांक 05/6/23

सूचना

---00---

कार्यालय अधिष्ठाता गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन कमांक 17001 / स्था.राज / 2023 दिनांक 12.5.2023 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2023 निर्धारित की गई थी, जिसे बढाकर **दिनांक 30.6.2023** की जाती है।

संलग्न–विज्ञप्ति कमांक 17001 / स्था.राज / 2023 दिनांक 12.5.2023

अधिष्ठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर, म.प्र.

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर

क्रमांक 1705 /स्था/विज्ञप्ति/2023

दिनांक 12/5/23

// विज्ञप्ति //

—00—

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2/53/2017/01/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1032-44/स्था/राज/2019 भोपाल दिनांक 02.05.2019 एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा जारी अनुसूची क्रमांक 374/स्था/राज/2022 दिनांक 12.04.2022 मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 10.10.2022 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.03.2023 में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन **सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक** के रिक्त पदों की पूर्ति **सीधी भर्ती** द्वारा की जाना है। म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2-45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 27.12.2022 के अनुसार इस चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। **आवदेन पत्र उन्ही चिकित्सकों के मान्य होंगे जो शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू. नियमावली दिनांक 14.02.2022 अनुसार अर्हताएं पूरी करते हों।**

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.05.2023 शाम 05:30 बजे तक

आवेदन शुल्क :-(अनारक्षित/ओ0बी0सी0) – रूपये 2000/– (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) – 1000/–

सह प्राध्यापक (सीधी भर्ती)

क्रं.	विषय	सीधी भर्ती के पद					योग
		UR	SC	ST	OBC	EWS	
1	जनरल सर्जरी	00	00	01	00	00	01

सहायक प्राध्यापक (सीधी भर्ती)

क्रं.	विषय	सीधी भर्ती के पद					योग
		UR	SC	ST	OBC	EWS	
1	एनाटॉमी	00	00	01	00	00	01
2	एनेस्थेसिया	00	00	01	00	00	01
3	बायोकेमिस्ट्री	00	00	01	01	00	02
4	इमरजेंसी मेडिसिन	01	00	00	00	00	01
5	जनरल मेडिसिन	00	00	01	01	01	03
6	जनरल सर्जरी	00	00	01	02	01	04
7	माइक्रोबॉयोलाजी	00	00	01	00	00	01
8	आब्स एंड गायनी	00	01	01	00	00	02
9	आर्थोपेडिक्स	00	00	02	02	00	04
10	आटो रिहनो लरंगयोलॉजी	00	00	00	01	00	01
11	पीडियाट्रिक्स	00	00	01	01	00	02
12	फिजियोलॉजी	00	00	01	00	00	01
13	पी.एम.आर.	01	00	00	00	00	01
14	रेडियोथैरेपी (न्यूक्लियर मेडिसिन)	00	00	00	01	00	01
15	न्यूरोलॉजी	00	00	00	01	00	01
16	मेडिकल ऑन्कोलॉजी	01	00	00	01	00	02
17	न्यूरोसर्जरी	00	00	01	00	00	01
	कुल	03	01	12	11	02	29

... चिन्हित पदो मे SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछडा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

नोट - आवेदन पत्र एवं विज्ञापन सबंधी विस्तृत जानकारी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना राजपत्रित शाखा से अधिष्ठाता की अनुमति पश्चात प्राप्त की जा सकती है।

1. वेतनमान –	नियमित नियुक्ति हेतु
सहायक प्राध्यापक	(सांतवे वेतनमान में एकेडमिक लेबल 11 के अनुसार)
सह प्राध्यापक	(सांतवे वेतनमान में एकेडमिक लेवल 13–ए के अनुसार)

टीप – समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान, मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगें। **आवेदन करने की पात्रता सिर्फ उन्ही चिकित्सकों के मान्य होंगे जो शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू. नियमावली दिनांक 14.02.2022 अनुसार अर्हताएं पूरी करते हों।**

2. आयु सीमा	न्यूनतम
सह प्राध्यापक	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष

टीप– आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना मे ली जावेगी।

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
3. आरक्षित वर्ग के उन्हीं अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं।

अर्हतायें :–

1. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित आर्हता। **आवेदन करने की पात्रता सिर्फ उन्ही चिकित्सकों के मान्य होंगें जो शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू. नियमावली दिनांक 14.02.2022 अनुसार अर्हताएं पूरी करते हों।**
2. अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश मेडिकल कांउसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जो एन.एम.सी. के अंतर्गत मान्य हो।

निरर्हतायें :–

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुश्चरित्र होंने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्त्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
4. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
5. विवाह सबंधी– जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसके किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

   दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार की जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात आगामी प्रसव 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिय अपात्र नहीं होगा।
6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जान/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
7. कदाचरण संवंधी– किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
8. ऐसे उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरूद्ध दर्ज किसी आपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।
9. स्वास्थ्य सवंधी– मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए, तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
10. चयन हेतु साक्षात्कार/लिखित परीक्षा अथवा दोनों प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं।
11. स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
12. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
13. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

14. ...दक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय मे सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लघंन पर उसे एक वष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

15. मध्यप्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

16. शपथ पत्र – उपरोक्त अर्हताओं एवं निरर्हताओं के सबंध में अभ्यार्थी को 100/–रूपये के स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं (प्रारूप संलग्न हैं।)

आवेदन शुल्क :–

(अनारक्षित/ओ0बी0सी0) – रूपये 2000/–

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) – 1000/–

आवेदक को आवेदन शुल्क ऑनलाइन SBI Collect के माध्यम से गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के खाते मे जमा कराकर उसकी छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :–**स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में आवेदन पत्र **दिनांक 31.05.2023 सायंकाल 05:30 बजे** तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र, डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

18. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

19. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.grmcgwalior.org पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वंय कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्ते भी उसमें समाहित रहेंगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर

आवेदन का प्रारूप

(अंतिम तिथि ....)

पद ....विषय..(जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है।)

आवेदक लिफाफे के उपर अपना नाम, पद जिसके लिये आवेदन किया है, एवं विषय अनिवार्य रूप से लिखे।

नोट : सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

33 आवेदक का नाम – ....

34. ....

35. पुरूष / महिला – ....

36. पिता / पति का नाम (उप नाम सहित) – ....

37. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल / संस्थान – ....

38. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत हैं – ....

39. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) – ....

....

शहर का नाम – ....

मोबाइल नंबर – .... फोन नंबर ....

40. स्थायी पता – .... ईमेल आईडी ....

....

41. आधार कार्ड नंबर (हो तो) – ....

42. जन्म तिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें) – ....

43. दिनांक 01.01.2023 को आवेदक की आयु – ....दिन............................माह............................वर्ष.............................

44. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित / अविवाहित ....

45. विवाह का दिनांक– ....

46. विवाह के समय आपकी उम्र ....वर्ष............................माह............................दिन.............................

पति / पत्नि की उम्र ....वर्ष............................माह............................दिन.............................

47. आपके बच्चों की संख्या ....

48. यदि बच्चों की संख्या 02 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक..

49. वर्ग– अनारक्षित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग / ई.डब्ल्यू.एस.–..
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

नोट:– मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी न होने की स्थिति में वर्ग अनारक्षित लिखें।

17. मेडीकल काउंसिल का पंजीयन क्रमाक एवं नाम तथा दिनांक – ....

(अ) एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस ....

....

....

(ग) एम0डी / एम0एस0 / एम0डी0एस0...

(स) एम0सी0एच0 / डी0एम0...

26. शैक्षणिक योग्यताएं:–(प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रं.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	अंक प्रतिशत (%)	प्रयास
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/DNB/MDS/ PhD						
6.	DM/MCH						
7.	S.R.						
8.	Extra Qualfication						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरें)

नोट:–प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाणपत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें)

27. **शैक्षणिक अनुभव :–**

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव	संस्था का नाम	जारी करने वाले प्राधिकारी
1	सह प्राध्यापक			
2	सहायक प्राध्यापक			

28. **रिसर्च पब्लिकेशन :–**

क्र	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन	पब्लिकेशन की दिनांक	एन.एम.सी. के अनुसार इडेक्सिंग
1	सह प्राध्यापक			
2	सहायक प्राध्यापक			

29. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ....

....

....

स्थान:– ....

दिनांक:– ....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

/ /घोषणा पत्र/ /

- मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्टाम्प पेपर (100/-)

।। शपथ-पत्र ।।

डॉ. ______________________________

पिता/ पति -____________________ **जन्म तिथि -**______________

निवासी -______________________________

____

पद- प्राध्यापक / सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक, **विभाग-** ______________ के गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के विज्ञप्ति क्रमांक ________ दिनांक- __________ के भर्ती प्रक्रिया के अंतगर्त नीचे दिये कंडिका अनुसार शपथ करता / करती हूँ-

1. यह कि, शपथकर्ता नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा निर्धारित आर्हता पूर्ण करता / करती हूँ।
2. यह कि, अभ्यार्थी का मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल / मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया में जीवित पंजीयन है।
3. यह कि, अभ्यार्थी का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया/ नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतगर्त मान्य है।
4. यह कि, अभ्यार्थी विकृत चित्त अथवा दुश्चरित्र वाला नहीं है।
5. यह कि, अभ्यार्थी शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं है जिसके कारण अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व पूरा नहीं कर सकता है।
6. यह कि, अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति हेतु किसी से किसी भी प्रकार का प्रयास अथवा अनुशंसा नहीं किया अथवा करवाया गया है।
7. यह कि, अभ्यार्थी ने शासन के न्यूनतम निर्धारित आयु से पूर्व विवाह नहीं किया है एवं एक ही जीवित पति / पत्नी है।
8. यह कि, अभ्यार्थी का 26/01/2001 के पश्चात् जीवित संतान की संख्या 02 से अधिक नहीं है
9. यह कि, अभ्यार्थी कूट रचित / फर्जी दस्तावेजो चयन हेतु प्रस्तुत नहीं किया है।
10. यह कि, अभ्यार्थी को शासकीय सेवा के कदाचार एवं नैतिक पतन के अपराध के फलस्वरूप कभी भी पदच्युत नहीं किया गया है।
11. यह कि, अभ्यार्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है अथवा उसके विरुद्ध किसी भी अपराधिक मामले में कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है।
12. यह कि, अभ्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ है।
13. यह कि, अभ्यार्थी अपने पद के अनुरूप कर्तव्यों तथा समय समय पर सौपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेगा।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

-सत्यापन-

मैं, शपथकर्ता का नाम____________________पिता/पति____________________को सत्यापित करता हूँ कि, शपथपत्र की कंडिका क्रमांक 01 से 13 तक का कथन सत्य एवं सही है। अगर भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त कथन सही नहीं होने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

स्थान-
दिनांक-

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

सीधी भर्ती सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 25 अंक	कुल 25 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (...../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) निर्धारित विषय में उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 2. निर्धारित विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे। अधिकतम– 25 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.एस.सी./एम.डी.एस. (MD/MS/DNB/M.Sc/MDS) उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 25 अंक	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक। अधिकतम– 20 अंक	कार्य अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम 01 वर्ष से अधिक सीनियर रेसीडेंट/सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के 2 अंक। (डी.एन.बी. समकक्षता के लिये की गई अतिरिक्त एक वर्ष की सीनियर रेसीडेंसी के कोई अंक देय नही होंगे) अधिकतम– 10 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम – 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में ऐकेडमिक गतिविधियों को प्रमुखता दी जानी चाहिये।
2. यदि निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त उम्मीदवार के पास कोई प्रशिक्षण/संबंधित विषय या अन्य अनुभव है तो ऐसे अनुभव/योग्यता जो वह साक्षात्कार कमेटी के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, का उल्लेख पूर्व से ही आवेदन पत्र में करेगा, जिससे उन्हें साक्षात्कार कमेटी के समक्ष रखा जा सके।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Sca

सीधी भर्ती सह प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) उत्तीर्ण होने पर 10 अंक। 2. किसी भी विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे) **अधिकतम– 10 अंक**	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS/M.Sc) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे **अधिकतम– 20 अंक**	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक **अधिकतम– 20 अंक**	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे। **अधिकतम– 20 अंक**	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार – राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 02 अंक। **अधिकतम – 10 अंक**	*साक्षात्कार **अधिकतम– 20 अंक**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner